उत्तर प्रदेश शासन
धर्मार्थ कार्य विभाग
संख्या-20/2016/825(2)/2016/57-2016-51(जी)/2013
लखनऊ दिनांक: 09 सितम्बर, 2016

विज्ञप्ति/प्रकीर्ण

विषय:- **उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ एवं मूल निवासियों को शासकीय व्यय पर कानपुर, अनवरगंज से अजमेर-पुष्कर (राजस्थान) की तीर्थ यात्रा दिनांक: 27 सितम्बर, 2016 से दिनांक: 30 सितम्बर, 2016 तक कराये जाने के संबंध में।**

विज्ञप्ति संख्या-19/2016/825/2016/57-2016-51(जी)/2013 दिनांक 31 अगस्त, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ एवं मूल निवासियों को शासकीय व्यय पर कानपुर, अनवरगंज से अजमेर-पुष्कर (राजस्थान) की तीर्थ यात्रा दिनांक 23 सितम्बर, 2016 से कराये जाने हेतु निर्गत की गयी है परन्तु अपरिहार्य कारणों से अब उक्त यात्रा दिनांक: 27 सितम्बर, 2016 से दिनांक: 30 सितम्बर, 2016 तक करायी जायेगी तथा इस यात्रा हेतु आवेदन दिनांक 16 सितम्बर, 2016 तक (ऑनलाइन/आफलाइन) किया जा सकेगा।

2- विज्ञप्ति संख्या-19/2016/825/2016/57-2016-51(जी)/2013 दिनांक 31 अगस्त, 2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढा जायेगा। शेष शर्ते एवं नियम यथावत रहेगी।

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

संख्या-20/2016/825(3)/2016/57/2016-15(जी)/2016-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।

2- मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।

3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।

4- मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, आई0आर0सी0टी0सी0 लखनऊ ।

5- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आर0सी0टी0सी0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रदेश के समस्त जिलों के चयनित यात्रियों को यात्रा के प्रारम्भ होने पर उनके गृह जनपद के निकटतम बस स्टेशन से कानपुर, अनवरगंज रेलवे स्टेशन पर छोडेंगे तथा यात्रा की समाप्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के उपरान्त कानपुर, अनवरगंज रेलवे स्टेशन से यात्रियों को लेकर उनके गृह जनपद के निकटतम बस स्टेशन पर छोड़ेंगे। यह सुविधा यात्रियों को नि:शुल्क प्रदान की जायेगी।

6- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0 प्र0 शासन।

7- महानिदेशक, पर्यटन उ0 प्र0 शासन।

8- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, इलाहाबाद उ0 प्र0 ।

9- समस्त मण्डलायुक्त, उ0 प्र0।

10- प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि वे इच्छुक यात्रियों के आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर उनकी संवीक्षा कर निर्धारित चयन मानको के अनुसार वरिष्ठतम 10 सम्भावित यात्रियों की सूची शासन को दिनांक- 16-09-2016 तक अवश्य उपलब्ध करायेंगे।

11- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत यात्रा (तिथि 27-09-2016 से 30-09-2016 तक) हेतु 03 चिकित्सक एवं 02 नर्से नामित करते हुए धर्मार्थ कार्य विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

12- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ ।

13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0 प्र0 शासन।

14- निजी सचिव, मा0 मंत्री, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0 प्र0।

15- प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।

16- सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग।

17- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्तावित यात्रा का समुचित प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जाये।

18- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
अशोक कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।